



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022024-251921
CG-DL-E-07022024-251921

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 7, 2024/माघ 18, 1945

No. 82]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 7, 2024/MAGHA 18, 1945

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2024

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

सं.पीएफआरडीए/16/02/05/0001/2021-आरईजी-एनपीएसटी.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (1) के साथ पठित उसकी उपधारा (2) के खण्ड (ड.), खण्ड (ण), और खण्ड (फ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाए जाते हैं, नामतः :-

- इन विनियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 समय-समय पर यथासंशोधित (इसके पश्चात् मुख्य विनियम के रूप में संदर्भित) में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं :

I. मुख्य विनियम के विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,**i. खण्ड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

“(ख) ‘अंकेक्षक’ अर्थात् ऐसा व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 के अधीन किसी कंपनी के बहीखातों की लेखापरीक्षा करने के लिए अर्ह है।”

ii. खण्ड (ग) हट जाएगा;**iii. खण्ड (घ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

“(घ) ‘अनुपालन अधिकारी’ अर्थात् राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का कोई कर्मचारी, जिसे अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, अनुदेशों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के लिए न्यासियों के बोर्ड द्वारा नामित किया गया है;”

iv. खण्ड (छ) हट जाएगा;**II. मुख्य विनियमों के विनियम 2 का उप-विनियम (2) हट जाएगा;****III. मुख्य विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :**

“(ड) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित को छोड़कर, असीमित देयता या जिसके परिणामस्वरूप न्यासी बोर्ड में अंतर्निहित आस्तियों पर अधिभार होगा, पर रोक लगाना;”

IV. मुख्य विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (प) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(प) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा उक्त न्यास की धारित आस्तियों में से न्यास के निष्पादन या उक्त न्यास की प्राप्ति, संरक्षण या लाभ के लिए या उसकी आस्तियों की सुरक्षा या अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए न्यास द्वारा किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है ताकि इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा राशि की अधिशेषता उत्पन्न न हो।”

V. मुख्य विनियमों के विनियम 5 के उप-विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(2) कोई व्यक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी बोर्ड के न्यासी के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा / होगी, यदि वह –

- (क) भारत का नागरिक हो;
- (ख) योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो;
- (ग) नैतिक अधमता का दोषी नहीं पाया गया हो;
- (घ) किसी आर्थिक अपराध या किसी प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो;
- (ङ) प्रबंधन कौशल और अनुभव के साथ विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, समाज कल्याण या प्रशासन में अर्हित हो;
- (च) प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य अर्हताएं या आयु सीमा सहित निबंधन और शर्तों को पूरा करता हो; और
- (छ) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट विवरण दे दिए गए हों।”

VI. मुख्य विनियमों के विनियम 5 के उप विनियम (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(4) कोई व्यक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के बोर्ड के न्यासी का पद तब तक धारण नहीं करेगा जब तक कि वह प्राधिकरण के साथ पंजीकृत मध्यवर्ती संस्थाओं या उसके प्रायोजक के निदेशक (स्वतंत्र निदेशक सहित) के रूप में या किसी अन्य पेंशन न्यास के न्यासी के रूप में अपना पदत्याग नहीं कर देता है।

परन्तु यह प्राधिकरण की उस न्यासी की नियुक्ति पर लागू नहीं होगा जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों (जो भी मामला हो) से प्राप्त नामांकन के अनुसरण में की गयी हो, जो उक्त सरकार (सरकारों) के साथ रोजगार के आधार पर हो।”

VII. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(1) (क) कोई न्यासी, प्राधिकरण को अपने हस्ताक्षर सहित लिखित में तीस दिन का नोटिस (सूचना) देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तथापि, न्यासी का पद उस तिथि से रिक्त माना जाएगा जिस दिन से उसका त्यागपत्र प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो।

(ख) कोई न्यासी जिसने त्यागपत्र दे दिया है, अपने त्यागपत्र की स्वीकृति की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए न्यासी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ग) कोई न्यासी, जिसने न्यासी का पद त्याग दिया है, वह न्यासी का पद त्यागने की तिथि से दो साल की अवधि के लिए पेंशन निधि के बोर्ड में निदेशक (स्वतंत्र निदेशक सहित) के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।"

VIII. मुख्य विनियमों के विनियम 8 के तुरंत बाद नए विनियम 8क को निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाएगा :

"8क. मुख्य कार्यपालक अधिकारी - (1) प्राधिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, जो उस न्यास का न्यासी नहीं होगा।

(2) किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है यदि वह:

- (i) भारत का नागरिक हो;
- (ii) योग्य, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो;
- (iii) नैतिक अधमता का दोषी नहीं पाया गया हो;
- (iv) किसी आर्थिक अपराध या किसी प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो;
- (v) प्रबंधन कौशल के साथ विधि, वित्त, अर्थशास्त्र, लेखाकर्म, या प्रशासन के क्षेत्र में अर्हित हो और अधिकारी संवर्ग में कम से कम बीस वर्ष का अनुभव हो;
- (vi) प्राधिकरण द्वारा जारी विज्ञापन में प्रदान की गई विच्छेदक तिथि के अनुसार साठ वर्ष की आयु से अधिक नहीं हो; और
- (vii) आवेदन आमंत्रित करते समय, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली कोई अन्य अर्हता या शर्तें।

(3) प्राधिकरण द्वारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद प्रतिनियुक्ति या अनुबंध के आधार पर भरा जा सकता है।

(4) नियुक्ति की अवधि शुरू में तीन वर्ष के लिए होगी, यदि इससे पहले इसको समाप्त न किया जाए तो, नियुक्त के संतोषजनक प्रदर्शन की समीक्षा और आपसी सहमति के अधीन, इसे केवल दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी के लिए स्वीकृत वेतन और भत्ते, प्राधिकरण में कार्यकारी निदेशक की श्रेणी के बराबर होंगे। प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार के पास उसके मूल संगठन में स्वीकृत वेतन और भत्ते प्राप्त करने का विकल्प भी होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रदत्त वेतन और भत्तों का वहन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा किया जाएगा।

(6) नियुक्ति के लिए अनुबंध को, प्राधिकरण या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा, मामले के अनुसार, अनुबंध की अवधि के दौरान 90 दिन का नोटिस (सूचना) देकर या उसके बदले में भुगतान करके, बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

(7) अनुबंध के आधार पर नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास में अंततः उसकी सेवा समाप्त हो जाने की तिथि से दो वर्ष के भीतर, प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में पूर्व अनुमोदन के बिना, प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किसी मध्यस्थ या पेंशन निधि के प्रायोजक या उसकी धारक कंपनी से किसी भी रीति से नहीं जुड़ेगा या कोई अन्य रोजगार स्वीकार या शुरू नहीं करेगा।

(8) अनुबंध की अन्य शर्तें, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएंगी या प्रतिनियुक्ति के मामले में, प्राधिकरण में लागू नीति के अनुसार होंगी।"

IX. मुख्य विनियमों के विनियम 9 के उप विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से और उसके नाम से प्रत्येक पेंशन निधि द्वारा अमूर्त रूप में खरीदी गई प्रतिभूतियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के अभिरक्षक खाते में धारित किया जाएगा।"

X. मुख्य विनियमों के विनियम 9 का उप-विनियम (4) हट जाएगा ;

XI. मुख्य विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (1) के तुरंत बाद नया उप-विनियम (1क) निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाएगा :

"(1क) न्यासी बोर्ड प्रत्येक तीन कैलेंडर माह में कम से कम एक बार बैठक करेगा।"

XII. मुख्य विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(4) ऐसे सभी विषयों का विनिश्चय, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी बोर्ड की किसी बैठक के समक्ष रखे जाते हैं, उपस्थित और मतदान करने वाले न्यासियों द्वारा बहुमत से किया जाएगा।”

XIII. मुख्य विनियमों के विनियम 10 के उप-विनियम (5) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी:-

- (क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी बोर्ड के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के दैनिक प्रशासन और प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ख) न्यास के कार्यकलापों के निर्वहन में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के कर्मचारिवृन्द द्वारा उसकी मदद और सहायता की जाएगी और वह अपने अपने बाध्यताओं के निर्वहन में न्यासी बोर्ड द्वारा मार्गदर्शित होगा; और
- (ग) अपने दायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिए और उक्त न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसी शक्तियों का भी उपयोग कर सकेगा जो विनियम 41 के तहत प्रत्यायोजित की जाएँ।”

XIV. मुख्य विनियमों के विनियम 10 के का उप-विनियम (7) हट जाएगा ;**XV. मुख्य विनियमों के विनियम 11 के उप-विनियम (2) के खंड (x) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :**

“(x) अभिरक्षक के क्रियाकलापों की निगरानी करना और ऐसे अभिरक्षक द्वारा धारित, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की आस्तियों को प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी भी दिशानिर्देश, परिपत्र, निदेशों और अनुदेशों के तहत उक्त उद्देश्य के लिए विशेष रूप से अनुमत सीमा को छोड़कर, उसे समुद्देशित न करने, अंतरित न करने, बंधक न रखने, गिरवी न रखने, उधार न देने या उससे अन्यथा उसका व्ययन न करने संबंधी अनुदेश जारी करना।”

XVI. मुख्य विनियमों के विनियम 11 के उप-विनियम (2) के खंड (xii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(xii) प्रत्येक पेंशन निधि की स्कीम की लेखापरीक्षा के लिए अंकेषकों का पैनल नियुक्त करना। न्यासी बोर्ड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन निकास और प्रत्याहरण से संबंधित गतिविधियों के लिए केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण द्वारा और पेंशन निधि, न्यासी बैंक, अभिरक्षक द्वारा नियुक्त अंकेषकों से त्रैमासिक अंतराल पर आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट भी अभिप्राप्त करेगा। न्यासी बोर्ड द्वारा नियुक्त अंकेषकों की रिपोर्टों और आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों या अनुपालन रिपोर्टों पर समुचित कार्रवाई के लिए न्यासी बोर्ड की बैठकों में विचार किया जाएगा।”

XVII. मुख्य विनियमों के विनियम 11 के उप-विनियम(2) के खंड (xvi) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(xvi) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के प्रशासन और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की आस्तियों के प्रबंधन और अनुरक्षण, अभिरक्षकों का शुल्क, निवेश प्रबंधन का शुल्क तथा किसी अन्य शुल्क के आनुषंगिक सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों का, जब तक प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, संदाय करना।”

XVIII. मुख्य विनियमों के विनियम 12 के खंड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(ख) यह प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट संपरीक्षित स्कीम वित्तियों का अनुमोदन करने, आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों, अनुपालन रिपोर्टों तथा अन्य रिपोर्टों की जांच करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिन्हें पेंशन निधियों, न्यासी बैंक, अभिरक्षकों और केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरणों द्वारा निकास और प्रत्याहरण संबंधी गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसी अनुमोदित स्कीम वित्त (जिसमें पेंशन स्कीम के वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल हैं) तथा अन्य रिपोर्टों को प्राधिकरण द्वारा निर्मित योग्यताओं और अनुशंसाओं के साथ, यदि कोई हों, प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा।”

XIX. मुख्य विनियमों के विनियम 12 के खंड (च) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(च) अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा और ऐसे अन्य मध्यस्थों, कंपनियों या संस्थाओं अथवा निगमित निकायों के साथ, जो न्यासियों से सहबद्ध हैं, असन्निकट संबंधों को बनाए रखेगा :

परन्तु यदि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की बैठक में विचारार्थ आने वाले किसी मामले में, किसी न्यासी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक हित है, तो वह, प्रासंगिक परिस्थितियों की जानकारी होने के बाद, शीघ्रतापूर्वक, ऐसी बैठक में अपने हित का प्रकटन करेगा और ऐसे प्रकटन को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की कार्यवाहियों में दर्ज किया जाएगा और वह न्यासी उस मामले से सम्बन्धित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के विचार-विमर्श या निर्णय में भाग नहीं लेगा।”

XX. मुख्य विनियमों के विनियम 12 के खंड (छ) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(छ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की सभी आस्तियों, जो मध्यस्थों द्वारा धारित हैं, को अपनी अभिरक्षा में और अपने नियंत्रणाधीन रखने संबंधी कर्तव्य का निर्वहन करना।”

XXI. मुख्य विनियमों के विनियम 12 के खंड (ट) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(ट) यह पेंशन निधियों से कोई ऐसी आस्ति अर्जित नहीं करेगा, जिसमें स्वयं पर किसी भी दायित्व की धारणा शामिल है, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या उसके अभिदाताओं की आस्तियों का, किसी भी तरीके से उस सीमा तक, जो प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों, परिपत्रों या अनुदेशों के अधीन विशिष्ट रूप से अनुमन्य किया जाए, अधिभार हो।”

XXII. मुख्य विनियमों के विनियम 12 के खंड (ड) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(ड) यह सुनिश्चित करना कर्तव्य होगा कि आस्तियों का प्रबंधन अधिनियम, नियमों, विनियमों, न्यास-विलेख, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, विनिर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार किया जाए;”

XXIII. मुख्य विनियमों के विनियम 12 का खंड (ध) हट जाएगा :**XXIV. मुख्य विनियमों के विनियम 12 के खंड (म) के उप-खंड (ii) के तुरंत बाद नया उप-खंड (iik) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :**

(iik) “न्यासी के लाभप्रद और वस्तुगत हित का विवरण, जो किसी अन्य इकाई या संस्था अथवा निगमित निकाय में निदेशक, हिस्सेदार, स्वत्वधारी, कर्मचारी के रूप में उसके पद के आधार पर या किसी अन्य क्षमता से हो सकता है।”

XXV. मुख्य विनियमों के विनियम 12 के हटाए गए उप-खंड (यघ) के तुरंत बाद नया खंड (यड.) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(यड.) यह सामान्य स्टेवार्डशिप कोड, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के नाम पर धारित आस्तियों पर मतदान नीति और प्राधिकरण द्वारा जारी साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा।”

XXVI. मुख्य विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की आस्तियां उचित व्यक्तियों द्वारा उचित रूप से संरक्षित, धारित और प्रशासित की जाती हैं, जो पर्याप्त संख्या में हैं;”

XXVII. मुख्य विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) के खंड (क) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा प्रदत्त सीमाओं के संदर्भ में, निकास और प्रत्याहरण के संबंध में कार्यकलापों के लिए पेंशन निधि, न्यासी बैंक, अभिरक्षक और केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण(णों) द्वारा नियुक्त अंकेक्षकों से तिमाही अंतराल पर आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करना।”

XXVIII. मुख्य विनियम 13 के उप-विनियम (2) के खंड (क) के तुरंत बाद नया खंड (कक) निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाएगा :

“(कक) प्रत्येक तिमाही में योग्य (अर्हित) अंकेक्षकों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के आंतरिक लेखापरीक्षा की व्यवस्था करेगा और प्रत्येक तिमाही के अंत से 45 दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियों के साथ रिपोर्ट सौंपेगा।”

XXIX. मुख्य विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) के का खंड (ग) हट जाएगा :**XXX. मुख्य विनियमों के विनियम 13 के उप-विनियम (2) के खंड (च) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :**

“(च) यह सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा व्यवहृत मध्यस्थों द्वारा आचार संहिता का अनुपालन किया जाए, और”

XXXI. मुख्य विनियमों के विनियम 15 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(1) प्राधिकरण द्वारा उचित समझे जाने पर नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का निरीक्षण किया जाएगा।

उपरोक्त के होते हुए भी, किसी भी समय, जैसा उचित समझे, इस विनियम के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए, प्राधिकरण, सीधे या अंकेक्षक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, बहियों, खातों, कॉल अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के दस्तावेज और अभिलेख शामिल हैं, का निरीक्षण या लेखापरीक्षा कर सकता है।”

XXXII. मुख्य विनियमों के विनियम 15 के उप-विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के अंतर्गत, निम्नलिखित भी शामिल होंगे:-

- (क) यह सुनिश्चित करना कि लेखा बहियां, अभिलेख, जिनके अंतर्गत कॉल अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल हैं, और दस्तावेजों का इन विनियमों के अधीन अपेक्षित रीति में अनुरक्षण किया जा रहा है।
- (ख) यह अभिनिश्चित करना कि क्या यथोचित आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों, प्रक्रियाओं और रक्षोपायों को स्थापित किया गया है और क्या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा इनका अनुसरण किया जा रहा है।
- (ग) यह अभिनिश्चित करना कि क्या अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निदेशों और प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया जा रहा है।
- (घ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के कार्यकलापों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले पर अभिदाताओं, मध्यस्थों या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जांच करना;
- (ङ) ऐसे विषयों में, जो अभिदाताओं के हित में ठीक समझे जाएं, स्वतः संज्ञान से जाँच करना।"

XXXIII मुख्य विनियमों के विनियम 15 के उप-विनियम (3) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(3) प्राधिकरण, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट निरीक्षण या लेखापरीक्षा कराने के लिए एक या अधिक प्राधिकृत प्रतिनिधि या अर्हक अंकेक्षक नियुक्ति कर सकेगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजनों के लिए, "अर्हक अंकेक्षक " पद का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 में है।"

XXXIV. मुख्य विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (1) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(1) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के प्रत्येक न्यासी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अन्य अधिकारी(यों) और कर्मचारी(यों) का यह कर्तव्य होगा कि वे प्राधिकरण, उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या अंकेक्षक को, अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में की ऐसी बहियों, लेखाओं, अभिलेखों, जिसके अंतर्गत कॉल अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल हैं, और दस्तावेजों को ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जो निर्दिष्ट की जाए, के भीतर प्रस्तुत करे और प्राधिकरण द्वारा न्यास को सौंपे गए क्रियाकलापों से संबंधित अपेक्षित विवरण और सूचना दे।"

XXXV. मुख्य विनियमों के विनियम 17 के उप-विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(2) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, प्राधिकरण, उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या अंकेक्षक को, उसके द्वारा या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिभोग में रखे गए परिसर तक युक्तियुक्त पहुंच की अनुज्ञा देगा और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के स्वत्व में की खाताबहियों, अभिलेखों जिसके अंतर्गत टेलीफोन अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल हैं, और दस्तावेजों की परीक्षा करने के लिए, युक्तियुक्त सुविधा भी प्रदान करेगा और ऐसे दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां भी, जो प्राधिकरण या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या अंकेक्षक की राय में निरीक्षण या लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए सुसंगत हों, उपलब्ध कराएगा।"

XXXVI. मुख्य विनियमों के विनियम 18 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"18. प्राधिकरण को रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना – (1) निरीक्षण अथवा लेखापरीक्षा के पूरा होने पर, प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जो रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह अभिदाताओं के हित में ठीक और उचित समझे।

(2) प्राधिकरण स्वप्रेरणा से अथवा निरीक्षण अथवा लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, मामले के अनुसार, अन्वेषण या जांच का आदेश दे सकता है।

(3) प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या ऐसे व्यक्ति द्वारा निरीक्षण या लेखापरीक्षा के दौरान इस प्रकार संगृहीत कोई भी दस्तावेज या सूचना, प्राधिकरण के समक्ष किसी भी अन्वेषण या जांच अथवा अन्य कार्रवाई में अनुज्ञेय होगी।"

XXXVII. मुख्य विनियमों के विनियम 36 के खंड (ग) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"(ग) सुनिश्चित करेगा कि इसकी प्रणालियों, प्रक्रियाओं और खाताबहियों को एक विशेषज्ञ द्वारा वार्षिक रूप से अधिप्रमाणित किया जाए और इसके अधिप्रमाणन के एक महीने के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाए; और"

डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./736/2023-24]

नोट : पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) विनियम, 2015 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 के माध्यम से दिनांक 12 मार्च, 2015 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, सं. 79 में, और उसके बाद के संशोधनों में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2019 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 के माध्यम से दिनांक 29 जुलाई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, सं. 270 में, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 के माध्यम से दिनांक 29 जुलाई, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं 295 में, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2021 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 के माध्यम से दिनांक 14 जून, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 240 में तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास) (संशोधन) विनियम, 2023 को अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/5 के माध्यम से दिनांक 17 अप्रैल, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 240 में प्रकाशित किया गया।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th February, 2024

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (NATIONAL PENSION SYSTEM TRUST) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. PFRDA/16/02/05/0001/2021-REG-NPST.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clauses (e), (o) and clause (v) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015, namely: -

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Second Amendment) Regulations, 2023.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015, as amended from time to time (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), the following amendments are made.

I. In sub-regulation (1) of regulation 2 of the principal regulations,

i. Clause(b) shall be substituted as follows:

“(b) “auditor” means a person who is qualified to audit the accounts of a company under Section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);”

ii. Clause(c) shall be deleted;

iii. Clause(d) shall be substituted as follows:

“(d) “Compliance Officer” means an employee of the National Pension System Trust, designated as such by the board of trustees for compliance of the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, instructions and directions issued by the Authority;”

iv. Clause(g) shall be deleted;

II. Sub-regulation (2) of regulation 2 of the principal regulations shall be deleted;

III. Clause (m) of sub-regulation (1) of regulation 4 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(m) prohibiting unlimited liability or that which would result in encumbrance of the assets vested in the board of trustees, except as approved by the Authority;”

IV. Clause (u) of sub-regulation (1) of regulation 4 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(u) provision regarding reimbursement of expenses incurred by the National Pension System Trust out of the assets held by the said trust for the execution of the trust, or the realization, preservation, or benefit of the said trust,

or for the protection of its assets or protection of interest of subscribers, such that no surplus shall be created by the National Pension System Trust in this process.”

V. Sub-regulation (2) of regulation 5 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(2) A person shall be eligible to be appointed as a trustee of the Board of Trustees of the National Pension System Trust if he or she -

- (a) is a citizen of India;
- (b) is a person of ability, integrity and standing;
- (c) has not been found guilty of moral turpitude;
- (d) has not been convicted for commission of any economic offence(s) or violation of any securities laws;
- (e) is qualified in law, finance, economics, accountancy, social welfare or administration with management skill and experience;
- (f) possesses any other qualifications or fulfills terms and conditions including age limit that may be determined by the Authority; and
- (g) has furnished particulars as specified in Schedule I.”

VI. Sub-regulation (4) of regulation 5 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(4) A person shall not hold the position of a trustee to the Board of National Pension System Trust, unless he relinquishes his position as a trustee of any other pension trust, or as a director (including independent director) of any of the intermediaries registered with the Authority or that of its sponsor.

Provided that this shall not apply to a trustee appointed by the Authority, pursuant to a nomination received from the Central Government or State Government(s), as the case may be, by virtue of employment with said Government(s).”

VII. Sub-regulation (1) of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(1) (a) A trustee may, by thirty days’ notice in writing under his hand addressed to the Authority, resign his office. However, the office of the trustee shall fall vacant from the date on which his resignation has been accepted by the Authority.

(b) A trustee who has resigned, shall not be eligible for appointment as a trustee, for a period of two years from the date of acceptance of his resignation.

(c) A trustee who has ceased to hold the office of the trustee, shall not be eligible for appointment as a director including independent director on the Board of pension fund, for a period of two years from the date he ceases to hold the office of the trustee.”

VIII. New regulation 8A shall be inserted immediately after regulation 8 of the principal regulations as follows:

“**8A. Chief Executive Officer.-** (1) The Authority may appoint a chief executive officer of the National Pension System Trust, who shall not be a trustee of such trust.

(2) A person may be appointed as Chief Executive Officer of the National Pension System Trust if he:

- (i) is a citizen of India;
- (ii) is a person of ability, integrity and standing;
- (iii) has not been convicted of moral turpitude;
- (iv) has not been convicted of commission of any economic offence(s) or violation of any securities laws;
- (v) possess qualification in the fields of law, finance, economics, accountancy, or administration with management skill and, experience of not less than twenty years in officer cadre;
- (vi) is not more than sixty years as on the cut-off date provided in the advertisement issued by the Authority; and
- (vii) any other qualification or condition(s) as may be laid down by the Authority, while inviting application.

(3) The post of chief executive officer may be filled up by the Authority on deputation or on contract basis.

(4) The period of appointment shall initially be for three years, unless terminated earlier, extendable by another two years only, subject to satisfactory performance review of the incumbent and mutual consent.

(5) Pay and allowances admissible to the chief executive officer may be equivalent to the grade of an executive director in the Authority. The candidate appointed on deputation basis would also have the option to draw pay and allowances as admissible to him in the parent organization. Such pay and allowances to the chief executive officer shall be borne by the National Pension System Trust.

(6) The contract for appointment may be terminated by the Authority or by the chief executive officer as the case may be, during the period of contract, by giving ninety days' notice or by making payment in lieu thereof, without assigning any reasons therefor.

(7) The chief executive officer appointed on the basis of a contract shall not within two years from the date he finally ceases to be in the service of National Pension System Trust, accept or undertake any employment or be in any manner associated with an intermediary registered with the Authority or any of its holding company or sponsor of the pension fund, except with the prior written approval of the Authority.

(8) Other terms of contract shall be as laid down by the Authority or in case of deputation, as per the policy applicable in the Authority."

IX. Sub-regulation (2) of regulation 9 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"(2) The securities purchased by each pension fund in dematerialized form on behalf of, and in the name of the National Pension System Trust shall be held in the custodial account of the National Pension System Trust."

X. Sub-regulation (4) of regulation 9 of the principal regulations shall be deleted;

XI. New sub- regulation (1A) shall be inserted immediately after sub-regulation (1) of regulation 10 of the principal regulations as follows:

"(1A) The board of trustees shall meet at least once every three calendar months."

XII. Sub-regulation (4) of regulation 10 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"(4) All matters which come up before any meeting of the board of trustees of the National Pension System Trust, shall be decided by a majority of votes, by trustees present and voting."

XIII. Sub-regulation (5) of regulation 10 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"(5) The chief executive officer:-

- (a) shall be responsible for day-to-day administration and management of the National Pension System Trust, subject to the superintendence, direction and control of the board of trustees of the National Pension System Trust;
- (b) shall be aided and assisted by the staff of the National Pension System Trust in discharging the affairs of the trust and shall be guided by the board of trustees in discharge of his obligations; and
- (c) may also exercise such powers as may be delegated under regulation 41 for the effective discharge of his obligations and in achieving the objectives of the said trust."

XIV. Sub-regulation (7) of regulation 10 of the principal regulations shall be deleted;

XV. Clause (x) of sub-regulation (2) of regulation 11 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"(x) monitor the activities of and issue instructions to the custodian, not to assign, transfer, hypothecate, pledge, lend or otherwise dispose off assets of the National Pension System Trust, held by such custodian, except to the extent specifically permitted under any guidelines, circulars, directions and instructions issued, by the Authority, for the purpose;"

XVI. Clause (xii) of sub-regulation (2) of regulation 11 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"(xii) appoint a panel of auditors to undertake scheme audits of each pension fund. The board of trustees shall also obtain internal audit reports at quarterly intervals from the auditors appointed by the pension funds, trustee bank, custodians, and in respect of central recordkeeping agencies for activities pertaining to exits and withdrawals under National Pension System. The reports of the auditor appointed by the board of trustees and internal audit reports or compliance reports shall be considered at the meetings of the board of trustees for appropriate action;"

XVII. Clause (xvi) of sub-regulation (2) of regulation 11 of the principal regulations shall be substituted as follows:

"(xvi) pay for all costs, charges and expenses, incidental to the administration of the National Pension System Trust and the management and maintenance of assets of the National Pension System Trust, the custodian's fee, investment management fee and any other fee unless, otherwise provided by the Authority."

XVIII. Clause (b) of regulation 12 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(b) it shall be responsible for approving audited scheme financials, examination of internal audit reports, compliance reports and any other reports, as determined by the Authority, which are to be submitted by the pension funds, trustee bank, custodian, and central recordkeeping agency(s) for activities pertaining to exits and withdrawals to the National Pension System Trust. Such approved scheme financials (inclusive of financial statements of the pension schemes and auditor report) and other reports shall be presented to the Authority with qualifications and recommendations, if any, made by it;”

XIX. Clause (f) of regulation 12 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(f) it shall carry out its duties and responsibilities and maintain arms’ length relationship with other intermediaries, companies or institutions or bodies corporate with which the trustees may be associated:

Provided that if any trustee, has any direct or indirect pecuniary interest in any matter coming up for consideration at a meeting of National Pension System Trust, he shall, as soon as possible after relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest at such meeting and such disclosure shall be recorded in the proceedings of National Pension System Trust, and the trustee shall not take part in any deliberation or decision of National Pension System Trust with respect to that matter;”

XX. Clause (g) of regulation 12 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(g) it shall be its duty to take into its custody or under its control all the assets of the National Pension System Trust, held by intermediaries;”

XXI. Clause (k) of regulation 12 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(k) it shall not acquire any asset out of the pension funds, which involves the assumption of any liability upon itself, which may result in encumbrance of the assets of the National Pension System Trust or that of the subscribers in any manner, except to the extent specifically permitted under any guidelines, circulars or directions issued by the Authority, for the purpose;”

XXII. Clause (m) of regulation 12 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(m) it shall be its duty to take all care to ensure that the assets are managed in accordance with the provisions of the Act, rules, regulations, trust deed, guidelines, circulars, directions and instructions issued by the Authority;”

XXIII. Clause (s) of regulation 12 of the principal regulations shall be deleted;**XXIV. New sub-clause (ia) shall be inserted immediately after sub-clause(ii) of clause(y) of regulation 12 of the principal regulations as follows:**

“(ia) a statement of beneficial and material interest of trustee which he may have in any entity or institution or body corporate by virtue of his position as a director, partner, proprietor, employee or in any other capacity.

XXV. New clause (ze) shall be inserted immediately after the deleted sub-clause (zd) of regulation 12 of the principal regulations as follows:

“(ze) it shall adhere to common stewardship code, voting policy on the assets held in the name of National Pension System Trust and cyber security guidelines issued by the Authority.”

XXVI. Clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 13 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(b) it shall ensure that the assets of the National Pension System trust are properly protected, held and administered by proper persons who are in adequate number;”

XXVII. Clause (a) of sub-regulation (2) of regulation 13 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(a) obtain internal audit reports at quarterly intervals from auditors appointed by the pension funds, trustee bank, custodian, and central recordkeeping agency(s) for activities with regard to exit and withdrawals, in terms of the scope provided by National Pension System Trust;”

XXVIII. New clause (aa) shall be inserted immediately after Clause (a) of sub-regulation (2) of regulation 13 of the principal regulations as follows:

“(aa) shall arrange for the conduct of internal audit of National Pension System Trust by a qualified auditor on a quarterly basis and submit the reports to the Authority within forty-five days from the end of each quarter along with their comments;”

XXIX. Clause (c) of sub-regulation (2) of regulation 13 of the principal regulations shall be deleted;

XXX. Clause (f) of sub-regulation (2) of regulation 13 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(f) ensure that the intermediaries dealt by the National Pension System Trust adhere to the code of conduct; and”

XXXI. Sub-regulation (1) of regulation 15 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(1) The Authority shall inspect National Pension System Trust at regular intervals as it deems fit.

Notwithstanding the above, it may at any time as it deems fit undertake directly or appoint an auditor or through its authorized representative conduct an inspection or audit of the books, accounts, records including the call records and electronic records and documents of National Pension System Trust for the purposes as specified under this regulation.”

XXXII. Sub-regulation (2) of regulation 15 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include,-

- (a) ensuring that the books of account, records including call records, electronic records and documents are being maintained in the manner required under these regulations;
- (b) ascertaining whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established and are being followed by the National Pension System Trust ;
- (c) ascertaining whether the provisions of the Act, rules, regulations, guidelines, circulars, instructions and directions issued by the Authority are being complied with;
- (d) inquiring into the complaints received from subscribers, intermediaries, or any other person on any matter having a bearing on the activities of the National Pension System Trust;
- (e) inquiring *suo motu* into such matters as may be deemed fit in the interest of subscribers.”

XXXIII. Sub-regulation (3) of regulation 15 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(3) The Authority may, appoint one or more authorized representatives or, appoint a qualified auditor to undertake the inspection or audit referred to in sub-regulation (1).

Explanation.- For the purposes of this sub-regulation, the expression “qualified auditor” shall have the meaning derived from section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);”

XXXIV. Sub-regulation (1) of regulation 17 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(1) It shall be the duty of every trustee, chief executive officer, other officer(s) and employee(s) of the National Pension System Trust, to produce to the Authority, its authorised representative or auditor such books, accounts, records including call records and electronic records and documents in his custody or control and furnish to the Authority with such statements and information relating to activities entrusted to trust by the Authority, as it or he may require, within such reasonable period as may be determined.”

XXXV. Sub-regulation (2) of regulation 17 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(2) The National Pension System Trust shall allow the Authority, its authorised representative or the auditor to have reasonable access to the premises occupied by it or by any other person on its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records including call records and electronic records and documents in the possession of the National Pension System Trust or any other person and also provide copies of documents or other material which in the opinion of the Authority or its authorised representative or auditor are relevant for the purposes of the inspection or audit.”

XXXVI. Regulation 18 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“18. Submission of report to the Authority.- (1) On completion of the inspection or audit, a report shall be submitted to the Authority, who shall, after consideration of the report, take such action as it may deem fit and appropriate in the interest of the subscribers.

(2) The Authority may *suo motu* or after consideration of the inspection or audit report, as the case may be, order an investigation or inquiry to be conducted in the matter.

(3) The report submitted by the authorized person or any documents or information so collected by such person, during the course of inspection or audit, would be admissible in any investigation or inquiry or any other proceedings before the Authority.”

XXXVII. Clause (c) of regulation 36 of the principal regulations shall be substituted as follows:

“(c) shall ensure that its systems, processes and accounts are certified annually by an expert and the same is submitted to the Authority within one month of certification; and”

Dr. DEEPAK MOHANTY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./736/2023-24]

Note : The Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) Regulations, 2015 were published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/5, on the 12th March, 2015 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 79, and were subsequently amended by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (First Amendment) Regulations, 2019 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/5, on the 29th July, 2019 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 270, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Second Amendment) Regulations, 2020 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/5, on the 29th July, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 295, the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Amendment) Regulations, 2021 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/5, on the 14th June, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 240 and the Pension Fund Regulatory and Development Authority (National Pension System Trust) (Amendment) Regulations, 2023 published vide Notification No. PFRDA/12/RGL/139/5, on the 17th April, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 240.